न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2997–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया प्रकरण कमांक 53/अ–12/15–16.

1– वल्लभ आत्मज मुंशीलाल
2– शंभुप्रसाद पुत्र गया प्रसाद
कृषकगण एवं निवासीगण ग्राम कुल्होर
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द सिंह पुत्र हरीसिंह
कृषक एवं निवासी ग्राम कुल्होर
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....अनावेदक

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष उसके स्वत्व, स्वामित्व की ग्राम कुल्होर स्थित भूमि सर्वे कमांक 188 रकबा 0.393 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा प्रकरण कमांक 53/अ–12/15–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11–7–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है,

जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषको को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है । सीमांकन पंचनामा को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उस पर किसी स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक एवं अनियमित है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–16 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विधिवत संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदकगण सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर